कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश
17, न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ

परिपत्र संख्या : 62/सी/क्रय–2/01/सर्वेक्षण/2022–23/दिनांक : 08.04.2022

1. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त
2. समस्त जिला गन्ना अधिकारी
उत्तर प्रदेश

विषय :– गन्ना सर्वेक्षण पेराई सत्र 2021–22 वास्ते पेराई सत्र 2022–23

प्रत्येक पेराई सत्र में गन्ने के सम्भावित उत्पादन को ध्यान में रखकर चीनी मिलों के गन्ना क्षेत्र का निर्धारण तथा किसानों द्वारा उत्पादित गन्ने की चीनी मिलों को आपूर्ति की योजना तैयार की जाती है। गन्ना उत्पादन के सही आंकलन के लिए बोये गये गन्ने के क्षेत्र का सही सर्वेक्षण एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आधारभूत कार्य है, जिसे पूरी शुद्धता, तत्परता एवं निष्ठा से किए जाने की आवश्यकता है। इसके प्रमुख अवयवों यथा 1–सर्वेक्षण प्रकिया, 2–निरीक्षण एवं अनुश्रवण, 3–सर्वे आंकड़ों को अन्तिम रूप दिया जाना, 4–नये सदस्यों का पंजीयन, 5–उपज बढ़ोत्तरी हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का सूचीकरण इत्यादि का विशेष महत्व है। इस सम्बन्ध में कार्यों के सम्यक् निष्पादन हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:–

1– गन्ना सर्वेक्षण की प्रकिया :–

1.1 सर्वेक्षण प्रणाली :
गन्ना सर्वेक्षण का कार्य मीट्रिक प्रणाली पर आधारित होगा तथा शत–प्रतिशत सर्वेक्षण जी.पी.एस. से किया जायेगा।

1.2 सर्वेक्षण की समय–सारणी :–
गन्ना सर्वेक्षण का कार्य **दिनांक 20 अप्रैल, 2022 से आरम्भ कर दिनांक 20 जून, 2022 तक** पूर्ण कर लिया जायेगा। गन्ना सर्वेक्षण का समस्त कार्यक्रम परिशिष्ट–2 में दी गई समय–सारणी के अनुसार पूर्ण किया जायेगा।

1.3 सर्वेक्षण के लिए राजस्व अभिलेख :–
अधिकांश चीनी मिलों में राजस्व अभिलेख प्राप्त हो गये हैं, किन्तु जहां कहीं अभी तक राजस्व अभिलेख प्राप्त नहीं किये गये हैं, वहां की चीनी मिलों का दायित्व होगा कि वे सर्वेक्षण हेतु सुसंगत राजस्व अभिलेख यथा खतौनी आदि राजस्व विभाग से लेकर एक प्रति **दिनांक 18–04–2022** तक अनिवार्य रूप से सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को उपलब्ध करा देंगें। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा राजस्व अभिलेख की एक प्रति सर्वे टीम को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे सर्वे टीम सर्वे के समय अपने पास अनुरक्षित रखेगी।

1.4 घोषणा पत्र की प्राप्ति अनिवार्य :
1.4.1 सर्वेक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व सर्वेक्षण टीम द्वारा सम्बन्धित ग्रामों के कृषकों द्वारा बोये गये गन्ना क्षेत्रफल के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर

enquiry.caneup.in पर आनलाइन भरे गये घोषणा पत्रों की सूची प्राप्त की जायेगी तथा घोषणा पत्रों में उल्लिखित सूचनाओं का शत–प्रतिशत सत्यापन सर्वेक्षण के समय किया जायेगा।

1.4.2. सम्बन्धित गन्ना पर्यवेक्षक का यह दायित्व होगा कि सर्किल से सम्बन्धित समस्त गन्ना कृषकों के घोषणा पत्र आनलाइन enquiry.caneup.in के माध्यम से प्राप्त कर लिए जाये।

1.4.3. यह स्पष्ट किया जाता है कि जो किसान आनलाइन घोषणा पत्र उपलब्ध नहीं करायेंगे, ऐसे कृषकों का सट्टा आगामी पेराई सत्र 2022–23 में विभाग द्वारा कभी भी बन्द किया जा सकता है। सम्बन्धित किसान को अपना घोषणा पत्र स्वयं आनलाइन भरना होगा।

1.4.4 सर्वेक्षण करते समय किसान द्वारा आनलाइन भरे गये घोषणा पत्र का परीक्षण करके सर्वे टीम द्वारा पुष्टि की जायेगी। सर्वेक्षणकर्ता सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गये विवरण के आधार पर किसानों द्वारा आनलाइन भरे गये घोषणा पत्र की प्रविष्टियों का भी सत्यापन करेंगे। यदि यह पाया जाता है कि घोषणा पत्र में जानबूझकर गलत प्रविष्टि दर्शायी गई है, तो आवश्यक कार्यवाही हेतु अलग से परिशिष्ट–3 पर सूची उपलब्ध करायेंगे।

इसी क्रम में गन्ना पर्यवेक्षक/सर्किल इन्चार्ज ऐसे कृषकों को आनलाइन घोषणा पत्र भरे जाने हेतु प्रेरित करेंगे जिनके द्वारा सर्वेक्षण तिथि तक आनलाइन घोषणा पत्र नहीं भरा गया हो।

1.5 गन्ना सर्वेक्षण हेतु कार्यक्रम का निर्धारण :–

गन्ना सर्वेक्षण हेतु संयुक्त दल का गठन एवं विस्तृत कार्यक्रम का निर्धारण ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा चीनी मिल से परागर्श कर सर्वेक्षण प्रारम्भ करने से एक सप्ताह पूर्व कर लिया जाय। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक सर्वेक्षण कार्यक्रम एवं इसमें लगे कर्मियों की सूचना सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे, जो अपने स्तर से समुचित मार्गदर्शन एवं अनुश्रवण कर सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करायेंगे। सर्वेक्षण कार्यक्रम एवं इसमें लगे कर्मियों की सूचना की एक प्रति सम्बन्धित चीनी मिलों को भी उपलब्ध करायी जायेगी। जिला गन्ना अधिकारी अपने जनपद में सर्वे जांच हेतु आने वाले अन्य अधिकारियों को भी कार्यक्रम की प्रति उपलब्ध करायेगे।

1.5.1 सर्वेक्षण हेतु गठित टीमों के लिए पर्याप्त गन्ना पर्यवेक्षक उपलब्ध न होने पर परिक्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त की पूर्व स्वीकृति लेकर यथा आवश्यक उन्हीं समिति कर्मचारियों को कार्य पर रखा जायेगा जो एच.एच.सी. चलाने में निपुण हों। गन्ना समिति के कर्मचारियों की कार्यावधि दो माह से अधिक नहीं होगी किन्तु इनका वेतन भुगतान, इन्हें सौंपे गये कार्य के सम्पादन के सम्बन्ध में ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र के आधार पर ही किया जायेगा। उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा–14(1)(ए) के अनुसार संयुक्त रूप से किए गये गन्ना सर्वेक्षण में लगने वाले समिति स्टाफ पर होने वाला व्यय सम्बन्धित चीनी मिल वहन करेगी।

1.5.2 गन्ना सर्वेक्षण के प्रयोजन हेतु प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र में स्टाफ की उपलब्धता के अनुरूप **500 से 1000 हेक्टेयर** तक की अस्थाई सर्किलें बनायी

जायेंगी। गन्ना सर्वेक्षण टीम में एक कर्मचारी राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक/समिति कर्मचारी तथा एक कर्मचारी चीनी मिल का होगा। प्रत्येक सर्किल हेतु एक सर्किल इन्चार्ज नियुक्त किया जायेगा। सर्किल इन्चार्ज राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक/समिति कर्मचारी होगा। इसके साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि **सर्वेक्षणकर्ता द्वारा गत पेराई सत्र में जिस सर्किल का सर्वेक्षण किया गया था, वह वर्तमान पेराई सत्र में उस सर्किल का सर्वेक्षण कार्य नहीं करेगा।**

1.5.3 गन्ने का मैनुअल सर्वे किये जाने की स्थिति में गन्ना सर्वेक्षण/सहायक (चेनमैन) की संख्या सर्वेक्षण टीम के अनुसार यथावश्यक ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा तय की जायेगी तथा इनके मैनुअल सर्वे किये जाने की स्थिति में भी चेनमैन के पारिश्रमिक के भुगतान का दायित्व उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा–14(1)(ए) के अन्तर्गत सम्बन्धित चीनी मिल का होगा।

1.5.4 प्रत्येक जोन में नियुक्त गन्ना विकास निरीक्षकों के साथ–साथ समिति में नियुक्त विशेष सचिव/सचिव, प्रभारी सचिव, को गन्ना सर्वेक्षण कार्य के लिए ब्लाक प्रभारी नियुक्त किया जायेगा, जो अपने पर्यवेक्षण में इस कार्य को सम्पन्न करायेंगे। जोन स्तर पर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, जिला स्तर पर जिला गन्ना अधिकारी एवं परिक्षेत्रीय स्तर पर उप गन्ना आयुक्त सर्वेक्षण कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे।

1.5.5 गन्ना सर्वेक्षण टीम में उन्हीं कर्मचारियों को रखा जायेगा, जो गन्ना सर्वेक्षण की मूलभूत जानकारी रखते हों। गन्ना सर्वेक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व सर्वेक्षण टीम का मिल/जोन स्तर पर जिला गन्ना अधिकारियों के निर्देशन में प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक इस प्रशिक्षण के संयोजक होंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सर्वेक्षण नीति पेराई सत्र 2021–22 वास्ते पेराई सत्र 2022–23 में उल्लिखित बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की जायेगी तथा सर्वेक्षण कर्मियों की पृच्छाओं का मौके पर ही समाधान किया जायेगा। प्रशिक्षण सम्पन्न होने के उपरान्त प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कार्मिकों को एक प्रश्नावली (Questionnaire) देकर उनकी ग्राहयता/फीडबैक भी प्राप्त किया जायेगा। प्रशिक्षण उपरान्त गन्ना सर्वेक्षण हेतु आवश्यक समस्त वांछित अभिलेख/सामग्री सर्वेक्षण टीम को उपलब्ध करा दिये जायेंगें।

1.5.6. ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं चीनी मिल द्वारा टीमवार, तिथिवार, ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण कार्यक्रम का लीफलेट, पैम्पलेट, स्थानीय समाचार–पत्रों एवं एस.एम.एस. आदि के माध्यम से विधिवत् प्रचार–प्रसार किया जायेगा, ताकि सर्वे टीम के गांव में पहुंचने की जानकारी कृषकों को हो जाय, जिससे सर्वे कार्य में उनका पूर्ण सहयोग मिल सके ।

1.6 पूर्व वर्ष के सर्वेक्षण अभिलेखों की अभिरक्षा :–

1.6.1 वर्तमान फसल का सर्वेक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्षो के समस्त गश्ती केन सर्वे रजिस्टर उनके कार्यालय में जमा करा लिए गये हैं। वे इस आशय का प्रमाण–पत्र जिला गन्ना अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिला गन्ना

अधिकारी इन अभिलेखों को अपनी अभिरक्षा में किसी उपयुक्त स्थान पर अनुरक्षित करेंगे, ताकि पूर्व वर्ष के आंकड़ों के आधार पर बिना प्लाटवार माप किए ही सर्वेक्षण अभिलेख तैयार करने की सम्भावना को समाप्त किया जा सके। गन्ना सर्वेक्षण पूर्ण होने के उपरान्त गत वर्ष की जमा गश्तियों को सम्पन्न गन्ना सर्वेक्षण के आंकड़ो के मिलान हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

गन्ना सर्वेक्षण की समाप्ति के उपरान्त मापे गये पेड़ी गन्ना के किस्मवार क्षेत्रफल तथा पेराई सत्र 2020–21 में मापे जा चुके किस्मवार पौधे गन्ने के क्षेत्रफल के तुलनात्मक आंकड़ो सहित चीनी मिल के मुख्य गन्ना अधिकारी/मुख्य गन्ना प्रबन्धक/महाप्रबन्धक (गन्ना) इस आशय का एक प्रमाण–पत्र ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के माध्यम से सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी को मिल संचालन से पूर्व अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगें कि पेराई सत्र 2020–21 के पौधे गन्ने एवं पेराई सत्र 2021–22 वास्ते पेराई सत्र 2022–23 के लिए पेड़ी गन्ने के किस्मवार क्षेत्रफल में कोई भिन्नता नहीं है। भविष्य में चीनी मिल संचालित हो जाने के उपरान्त यदि इन दोनों आंकड़ों में किस्मवार कोई भिन्नता प्रकाश में आती है तो सम्बन्धित सर्वेक्षणकर्ता एवं संबंधित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा मिल के मुख्य गन्ना अधिकारी/मुख्य गन्ना प्रबन्धक/महाप्रबन्धक (गन्ना) एवं ए.ई.डी.पी. के साथ ही साथ यूनिट हेड संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानें जायेगें। उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही के साथ ही साथ डाटा में छेड़छाड़ मानते हुए विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

1.6.2 गत पेराई सत्र के सर्वेक्षण से सम्बन्धित जो आंकड़े समितियों/चीनी मिलों के कम्प्यूटर में अनुरक्षित हों, उन्हें भी कम्प्यूटर सी.डी. में लेकर, उपर्युक्तानुसार जिला गन्ना अधिकारी द्वारा अनुरक्षित किया जायेगा। इन आंकड़ों को कम्प्यूटर सी.डी. पर अनुरक्षित कर लेने के उपरान्त गत वर्ष के सर्वे डाटा को कम्प्यूटर से हटा दिया जायेगा। ई.आर.पी. पर पर्ची निर्गमन हेतु गत सत्र (2021–22) के अन्तिम आंकड़ों से वर्तमान सत्र के गन्ना क्षेत्रफल के ग्रामवार अन्तिम आंकड़ों का अवश्य मिलान कर लिया जाये।

1.6.2.(अ) गन्ना सूचना प्रणाली (SIS) एवं एस.जी.के.

कृषकों को गन्ना आपूर्ति एवं गन्ना मूल्य भुगतान की सूचनाओं की शुद्धता, सुगमता से उपलब्धता एवं उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण की दृष्टि से विभाग में गन्ना सूचना प्रणाली एवं स्मार्ट गन्ना किसान (एस.जी.के.) परियोजना लागू की गई है, जिसमें विभागीय एस.जी.के. के माध्यम से वेबसाइट, E-Ganna App, एस.एम.एस., हैण्डहेल्ड कम्प्यूटर/लिंक एच.एच. सी. सिस्टम लागू कराया गया है।

उपर्युक्त सूचना प्रणाली का लाभ गन्ना कृषकों को पहुंचाने के दृष्टिगत गन्ना सर्वेक्षण के कार्य में निम्न प्रकार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायी जायेगी :–

(i)–सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी किसानों से उनके द्वारा बोये गये गन्ना क्षेत्रफल के सम्बन्ध में आनलाइन घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरने विषयक एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना भेजी जाय।

(ii)–सर्वे टीम के क्षेत्र में जाने की तिथि, सर्वे टीम के इंचार्ज के नाम व मोबाईल नम्बर की सूचना तीन दिन पूर्व एस.एम.एस. के माध्यम से कृषकों को भेजी जाय।

(iii)–सर्वेक्षण कार्य में हैन्डहेल्ड कम्प्यूटर/एन्ड्रायड बेस्ड मशीन का प्रयोग किया जाय।

(iv)–कृषकों के खेतों का सर्वे करने के उपरान्त उनके खेतों के रकबे से सम्बन्धित सूचनाएं एस.एम.एस. के माध्यम से कृषकों को भेजी जाय।

(v)–सर्वे से सम्बन्धित आंकड़ों को चीनी मिलों द्वारा सीधे गन्ना विकास विभाग के सर्वर पर ऑनलाइन एक्सपोर्ट किया जायेगा। चीनी मिलें सर्वे सम्बन्धी ऑकड़ों को अपने सर्वर पर भी अनुरक्षित करेगीं तथा सर्वे पूर्ण होने के उपरान्त समस्त विवरण व आंकड़ें चीनी मिलें अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगीं एवं इसकी सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से कृषकों को भेजी जायेगी।

1.6.2.(ब) गन्ना सर्वेक्षण में जी.पी.एस. का प्रयोग

गन्ना क्षेत्र का सर्वेक्षण जी.पी.एस. द्वारा कराये जाने के फलस्वरूप सर्वेक्षण में पारदर्शिता व शुद्धता आई है। जी.पी.एस. से सर्वे किये जाने पर समय की बचत के साथ–साथ व्यय भी कम हुआ एवं फर्जी सर्वे की सम्भावना व बिचौलियों की भूमिका में भी कमी आई है। अतः जो मिलें गत वर्ष किसी कारण से जी.पी.एस. सर्वे नहीं करा सकी हैं, उनके द्वारा भी इस वर्ष सम्पूर्ण गन्ना क्षेत्र का सर्वेक्षण मैनुअल पद्धति से न करके जी.पी.एस. द्वारा किया जाय।

गन्ना सर्वेक्षण जी.पी.एस. द्वारा किया जायेगा तथा सर्वेक्षण उपरान्त हैण्डहेल्ड कम्प्यूटर (जी.पी.एस. युक्त)/एन्ड्रायड बेस्ड मशीन से चारों भुजायें नापकर सर्वे स्लिप मौके पर उपस्थित गन्ना कृषकों को उपलब्ध करायी जायेगी, किन्तु यदि किसी कृषक द्वारा अपने खेत के सर्वे के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या शिकायत दर्ज करायी जाती है तो उस कृषक का मैनुअल सर्वे भी कराया जाय।

1.7 सर्वेक्षण की विधि :–

1.7.1 सर्वेक्षण कार्य राजस्व अभिलेख यथा खतौनी आदि के आधार पर प्लाटवार विभाग द्वारा निर्धारित कम्प्यूटरीकृत गश्ती केन सर्वे रजिस्टर के प्रारूप पर किया जायेगा, जिसकी दो प्रतियां तैयार की जायेंगी। कम्प्यूटरीकृत गश्ती केन रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ पर राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक/समिति कर्मचारी एवं चीनी मिल कर्मचारी द्वारा नाम सहित हस्ताक्षर किया जायेगा।

1.7.2 गन्ना सर्वेक्षण के समय खेत उसी किसान के नाम अंकित किया जायेगा, जिसके नाम राजस्व अभिलेखों में भूमि अंकित हो, किन्तु राजस्व एवं सिंचाई विभाग द्वारा यदि किसी किसान को पट्टे पर भूमि दी गई है, तो इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाने पर बोये गये गन्ने का सर्वेक्षण पट्टेदार के नाम किया जायेगा।

इसी क्रम में यदि किसी कारणवश गन्ना सर्वेक्षण में किसी ऐसे कृषक का नाम दर्ज हो जाता है जिसके नाम राजस्व अभिलेखों में भूमि अंकित न

हो अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा पट्टे के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र निर्गत न हो, तो ऐसे कृषक का गन्ना सर्वेक्षण विधिमान्य नहीं होगा।

1.7.3 गन्ना सर्वेक्षण कार्य प्रत्येक खेत की चारों भुजाओं को नापते हुए क्षेत्रफल का आंगणन किया जायेगा।

1.7.4 गन्ना सर्वेक्षण करते समय अन्य सूचनाओं के साथ–साथ गन्ने की किस्मों के नाम, फसल की दशा आदि का विवरण सही प्रकार अंकित किया जायेगा, यदि खेत पौधशाला अथवा प्रदर्शन के रूप में बोया गया है, तो उसका क्षेत्रफल भी अंकित किया जायेगा।

1.7.5 गन्ना सर्वेक्षण करते समय ट्रेंच विधि द्वारा बुआई किये गये प्लाटों के विवरण को अभ्युक्ति के कालम में अंकित किया जायेगा। मानसून गन्ना बुआई/शरदकालीन गन्ना बुआई/बसन्तकालीन बुआई वाले खेतों/ड्रिप इरीगेशन वाले खेतों एवं सहफसली खेती भी यदि गन्ने के साथ की गयी है, तो उसका विवरण भी दर्ज किया जायेगा। इसी के साथ आदर्श मॉडल प्लाट के अन्तर्गत प्रत्येक गन्ना विकास परिषद् में चयनित **उत्तम कृषकों** का विवरण भी अलग से दर्ज किया जायेगा।

1.7.6 सर्वेक्षण के दौरान एकत्र विवरण को ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा सम्बन्धित चीनी मिल के मुख्य गन्ना अधिकारी/मुख्य गन्ना प्रबन्धक/महाप्रबन्धक(गन्ना) के संयुक्त हस्ताक्षरों से प्रमाणित होने के बाद गन्ना विकास परिषद में अनुरक्षित रखा जायेगा। इन प्रमाणित अभिलेखों को ही समिति में स्थापित कम्प्यूटरों में गन्ना विपणन हेतु अग्रेतर आंकड़े तैयार करने हेतु फीड किया जायेगा।

1.7.7 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक प्रत्येक शनिवार को सर्वेक्षण की समीक्षा करते हुए, रिपोर्ट जिला गन्ना अधिकारी को उसी दिन उपलब्ध करायेंगे। जिला गन्ना अधिकारी, जोन से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर सूचना सम्बन्धित उप गन्ना आयुक्त को प्रत्येक सोमवार को प्रेषित करेंगे। क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त जिले से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर सर्वेक्षण की प्रगति प्रत्येक मंगलवार को उप गन्ना आयुक्त (सांख्यिकीय), कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रेषित करेंगे। उप गन्ना आयुक्त (सांख्यिकीय) प्रदेश स्तर पर सूचना का संकलन कर गन्ना आयुक्त, उ.प्र. के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

2. गन्ना सर्वेक्षण कार्य का निरीक्षण एवं अनुश्रवण :–

2.1 गन्ना सर्वेक्षण का आकस्मिक निरीक्षण तथा प्रगति का अनुश्रवण समय–समय पर सम्बन्धित गन्ना समिति के सभापति, जिला गन्ना अधिकारी, क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त एवं मुख्यालय द्वारा गठित जांचदल द्वारा किया जायेगा। क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त स्वयं का, जिला गन्ना अधिकारियों तथा परिक्षेत्र में कार्यरत अपर/सहायक सांख्यिक अधिकारियों का निरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। इसी प्रकार जिला गन्ना अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, विशेष सचिव/सचिव एवं ब्लाक प्रभारियों का निरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त तैयार किए गये निरीक्षण कार्यक्रम की एक प्रति उप गन्ना आयुक्त (सांख्यिकीय), कार्यालय आयुक्त गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश को प्रेषित करेंगे। जिला गन्ना अधिकारी तैयार किए गये निरीक्षण कार्यक्रम की प्रति अपने कार्यालय में अनुरक्षित करते हुए, एक प्रति

सम्बन्धित उप गन्ना आयुक्त को प्रेषित करेंगे। इसी कम में क्षेत्र में कार्यरत सहायक चीनी आयुक्त, खाण्डसारी अधिकारी एवं खाण्डसारी निरीक्षकों को भी सर्वे जांच हेतु अधिकृत किया जाता है तथा इनके सर्वे जांच के लक्ष्य कमशः जिला गन्ना अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं गन्ना विकास निरीक्षक के लक्ष्य के अनुरूप होंगे।

2.2 जिन ग्रामों में विगत पेराई सत्र में गन्ना सर्वेक्षण सम्बन्धी अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थी, उनकी सूची जनपदवार/परिषदवार/चीनी मिलवार तैयार की जायेगी तथा ऐसे ग्रामों में सर्वेक्षण कार्यों की जांच प्राथमिकता पर की जायेगी।

2.3 प्रत्येक चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक/यूनिट हेड, महाप्रबन्धक (गन्ना), मुख्य लेखाकार, मुख्य रसायनविद तथा मुख्य अभियंता भी अपने मिल क्षेत्र में गन्ना सर्वेक्षण की जाँच करेंगे। मिल क्षेत्र में गन्ना सर्वेक्षण हेतु प्रधान प्रबन्धक एवं महाप्रबन्धक (गन्ना) उत्तरदायी होंगे तथा वह भी सर्वेक्षण कार्यों का दैनिक निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे।

2.4 समस्त उप गन्ना आयुक्त अपने परिक्षेत्र से सम्बन्धित सभी निरीक्षण अधिकारियों की संकलित सर्वे निरीक्षण रिपोर्ट पाक्षिक रूप से उप गन्ना आयुक्त (सांख्यिकीय) को प्रेषित करेंगे तथा शिथिल अधिकारियों के सम्बन्ध में आवश्यक संस्तुति भी करेंगे।

2.5 गन्ना आयुक्त अधिष्ठान के अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण :
गन्ना आयुक्त अधिष्ठान के वरिष्ठ अधिकारी भी यथा निर्देश समय–समय पर सर्वेक्षण कार्य का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।

2.6 गन्ना सर्वेक्षण कार्यों का सत्यापन निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा परिशिष्ट–1 एवं 2 में दिये गये मानक के अनुसार किया जायेगा। अतः समस्त निरीक्षणकर्ता अधिकारी अपने लक्ष्यों की पूर्ति समयान्तर्गत सुनिश्चित करेंगे।

3– गश्तियों को गोश्वारा सहित पूर्ण करना तथा सर्वे आंकड़ों को अन्तिम रूप दिया जाना :–

3.1 सर्वेक्षण समाप्ति के बाद कम्प्यूटरीकृत गश्ती केन सर्वे रजिस्टर में गन्ना क्षेत्रफल का सारांश (गोश्वारा) तैयार कराते हुए दिनांक 21 जून, 2022 से 24 जून, 2022 के मध्य कम्प्यूटरीकृत गश्ती केन सर्वे रजिस्टर के अंतिम पृष्ठ पर सम्बन्धित चीनी मिल के सर्वे कर्मी, विभागीय गन्ना पर्यवेक्षक/समिति कार्मिक, सम्बन्धित ब्लाक इंचार्ज, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं चीनी मिल के महाप्रबन्धक (गन्ना) के संयुक्त हस्ताक्षर उपरांत सर्वे आंकड़ों को अन्तिम किया जायेगा।

3.2 सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त अंतिम हुए आंकड़ों (Final Data) की एक पी.डी.एफ. (P.D.F.) फाइल एवं पेनड्राइव में अनुरक्षित कर चीनी मिलें संबंधित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं जिला गन्ना अधिकारी को साफ्ट एवं हार्ड कापी में उपलब्ध करायेंगीं। संबंधित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय में यह आंकड़े अनुरक्षित किये जायेगें। सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी एवं क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त चीनी मिलों द्वारा प्रेषित आंकड़ों का मिलान एस.जी.के. पर उपलब्ध गन्ना सर्वेक्षण

के आंकड़ों से भी अवश्य करेंगें तथा आंकड़ो के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी होगें।

4— **नये सदस्यों का पंजीयन :—**

नये सदस्य बनाने के लिए व्यापक प्रचार—प्रसार किया जायेगा तथा सर्वेक्षण के दौरान नये सदस्यों का पंजीकरण भी कराया जायेगा। **पेराई सत्र 2022—23 के लिए 30 सितम्बर, 2022 तक बनाये गये सदस्यों को ही गन्ना आपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी।** मृतक सदस्यों के वारिस उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम—77 से 80 एवं समिति की उपविधियों के प्राविधानों के अन्तर्गत सदस्य बनाये जायेंगे। **नये सदस्यों से उनकी तीन प्रतियों में पासपोर्ट साइज की फोटो, भू—अभिलेख एवं बैंक खाता नम्बर लिया जाय,** जिसे समिति अभिलेखों में अनुरक्षित किया जाय, जो नये सदस्य बनाये जायेंगे, उनके भूमि अभिलेखों का सत्यापन तहसील/एन.आई.सी. से कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट लेकर कराया जायेगा। अग्रेतर नये सदस्यों का सट्टा तभी संचालित किया जायेगा जब वह अपना बैंक खाता नम्बर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा देंगे। बिना बैंक खाता संख्या के सट्टा संचालन नहीं किया जायेगा।

5— **उपज बढ़ोत्तरी हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का सूचीकरण :—**

प्रत्येक चीनी मिल के लिए प्रति हेक्टेयर औसत उपज क्राप कटिंग प्रयोगों के आधार पर जिलेवार निकाली जाती है। कुछ किसानों द्वारा यह मांग की जाती है कि उनके खेत में उत्पादकता औसत उपज से अधिक है तथा इसके आधार पर उनकी उपज एवं कुल गन्ना उत्पादन को संशोधित करके बेसिक कोटा/सट्टे का आंकलन किया जाय। **उपज बढ़ोत्तरी सम्बन्धी कृषकों के आवेदन—पत्र गन्ना सर्वेक्षण प्रारम्भ करने से लेकर दिनांक 30 सितम्बर, 2022 तक दे सकते हैं।** इस हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों, लघु कृषकों एवं अन्य कृषकों से क्रमशः रू.10(रूपया दस मात्र), रू.100(रूपया एक सौ मात्र) एवं रू.200(रूपया दो सौ मात्र) प्रति कृषक शुल्क जमा कराया जायेगा।

6— **गन्ना सर्वेक्षण के सुचारू सम्पादन हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारणः—**

उपर्युक्त दिए गये निर्देषों के अनुसार गन्ना सर्वेक्षण कार्यों के कुशल सम्पादन हेतु जोन स्तर पर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, जनपद स्तर पर जिला गन्ना अधिकारी एवं परिक्षेत्र स्तर पर सम्बन्धित उप गन्ना आयुक्त उत्तरदायी होगें।

उपर्युक्तानुसार प्रशिक्षण तथा अन्य कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेन्सिंग एवं सैनीटाइजेशन के साथ ही साथ इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा समय—समय पर निर्गत किये गये/किये जा रहे प्रोटोकाल का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में गन्ना सर्वेक्षण का अतिमहत्वपूर्ण कार्य पूर्ण सत्यता एवं स्थलीय स्थिति के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जायेगा।

संलग्नकः यथोक्त

(संजय आर. भूसरेड्डी)
गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश,

पृष्ठांकन संख्या : 62/सी/कय–2/01/सर्वे/2022–23/दिनांक : 08.04.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त बीज उत्पादन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त सचिव/विशेष सचिव, सहकारी गन्ना विकास समितियां, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि., लखनऊ।
9. निदेशक, गन्ना शोध परिषद्, शाहजहाँपुर।
10. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
11. अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, समस्त चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश।
12. मुख्य प्रचार अधिकारी, मुख्यालय एवं क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, बरेली, मेरठ, लखनऊ एवं गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करायें।
13. महासचिव, उ.प्र. चीनी मिल्स एसोसियेशन, 403, चिन्टल्स हाउस, 16–स्टेशन रोड, लखनऊ।
14. बजाज एवं मोदी चीनी मिल्स समूह।

(विश्वेश कनौजिया)
संयुक्त गन्ना आयुक्त (क्रय)
कृते गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।

पृष्ठांकन संख्या : 62/सी/कय–2/01/सर्वे/2022–23/दिनांक : 08.04.2022

उपरोक्त की प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी (गन्ना उत्पादक जिले) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से गन्ना सर्वेक्षण कार्य पर निगरानी रखने का कष्ट करें, तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों से सर्वे कार्य की रैण्डम चेकिंग कराने का भी कष्ट करें, यदि कहीं अनियमितता पायी जाती है, तो उसे अपनी देख–रेख में सही कराने की कार्यवाही करें। कृपया जांच परिणामों तथा किसानों की प्रतिकिया से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

2. समस्त मण्डलायुक्त (गन्ना उत्पादक मण्डल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, बापू भवन, लखनऊ को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

(विश्वेश कनौजिया)
संयुक्त गन्ना आयुक्त (क्रय)
कृते गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।

परिशिष्ट–1

प्रत्येक स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में सर्वे की जांच करने के लिए निर्धारित लक्ष्य

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	जांच हेतु निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य	निरीक्षण अवधि
1	गन्ना विकास निरीक्षक/सहायक परियोजना अधिकारी	200 खेत प्रति टीम न्यूनतम 800 खेत	27 अप्रैल, 2022 से 15 जून, 2022 तक निरीक्षण कर आख्या ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को सौपेगें।
2	खाण्डसारी निरीक्षक	अपने कार्यक्षेत्र में न्यूनतम 800 खेत	27 अप्रैल, 2022 से 15 जून, 2022 तक निरीक्षण कर आख्या ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को सौपेगें।
3	विशेष सचिव/सचिव/सहायक सचिव, सहकारी गन्ना विकास समितियां	200 खेत प्रति टीम, न्यूनतम 800 खेत	27 अप्रैल, 2022 से 15 जून, 2022 तक निरीक्षण कर आख्या ज्ये.ग.वि.नि. को सौपेगें ।
4	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	10 प्रतिशत, न्यूनतम 600 खेत	30 अप्रैल, 2022 से 15 जून, 2022 तक निरीक्षण कर आख्या जिला गन्ना अधिकारी को सौपेगें ।
5	खाण्डसारी अधिकारी	अपने कार्यक्षेत्र में न्यूनतम 600 खेत	30 अप्रैल, 2022 से 15 जून, 2022 तक निरीक्षण कर आख्या जिला गन्ना अधिकारी को सौपेगें ।
6	जनपदीय अपर/ सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	प्रत्येक परिषद में 100 खेत, न्यूनतम 500 खेत	30 अप्रैल, 2022 से 15 जून, 2022 तक निरीक्षण कर आख्या जिला गन्ना अधिकारी को सौपेगें ।
7	जिला गन्ना अधिकारी	50 खेत प्रति परिषद/न्यूनतम 400 खेत	30 अप्रैल, 2022 से 20 जून, 2022 तक निरीक्षण कर आख्या क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त को सौपेगें ।
8	सहायक चीनी आयुक्त	अपने कार्यक्षेत्र में न्यूनतम 400 खेत	30 अप्रैल, 2022 से 20 जून, 2022 तक निरीक्षण कर आख्या क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त को सौपेगें ।
9	महाप्रबन्धक (यूनिट हेड)	150 खेत प्रति चीनी मिल	30 अप्रैल, 2022 से 20 जून, 2022 तक
10	महाप्रबन्धक(गन्ना)	250 खेत प्रति चीनी मिल	30 अप्रैल, 2022 से 20 जून, 2022 तक
11	मुख्य लेखाकार	200 खेत प्रति चीनी मिल	30 अप्रैल, 2022 से 20 जून, 2022 तक
12	मुख्य रसायनविद्	200 खेत प्रति चीनी मिल	30 अप्रैल, 2022 से 20 जून, 2022 तक
13	मुख्य अभियन्ता	200 खेत प्रति चीनी मिल	30 अप्रैल, 2022 से 20 जून, 2022 तक
14	क्षेत्रीय अपर/सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	50 खेत प्रति परिषद, न्यूनतम 500 खेत	30 अप्रैल, 2022 से 20 जून, 2022 तक निरीक्षण कर आख्या क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त को सौपेगें ।
15	क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त	25 खेत प्रति परिषद, सम्पूर्ण क्षेत्र में न्यूनतम 250 खेत	05 मई, 2022 से 25 जून, 2022 तक जांच कर आख्या सम्बन्धित नोडल अधिकारी को सौपेंगें ।
16	मुख्यालय के नामित नोडल अधिकारी	10 खेत प्रति जनपद	01 जून 2022 से 25 जून, 2022 तक निरीक्षण कर आख्या गन्ना आयुक्त को सौपेंगें ।

परिशिष्ट–2

सर्वेक्षण कराने हेतु निर्धारित तिथियां

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित समय
1	सर्वे टीम का चयन, प्रशिक्षण, सर्वे सामग्री एवं अभिलेख उपलब्ध कराने तथा तिथिवार, ग्रामवार, प्रचार	15 अप्रैल, 2022 से 18 अप्रैल, 2022 तक
2	सर्वेक्षण आरम्भ करने की तिथि	20 अप्रैल, 2022 से
3	सर्वेक्षण पूर्ण करने की तिथि	20 जून, 2022 तक
4	प्रथम सर्वे कार्यालय गन्ना आयुक्त में उप गन्ना आयुक्त(सांख्यिकीय) को उपलब्ध कराने की तिथि।	25 जून, 2022 तक
5	पर्यवेक्षकीय अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण एवं सत्यापन	27 अप्रैल, 2022 से 27 जून, 2022 तक

परिशिष्ट–3

किसानों की सूची जिन्हें, गलत घोषणा–पत्र देने के कारण पेराई सत्र 2022–23 में गन्ना आपूर्ति से वंचित किया जाना है

क्र. सं.	किसानों का नाम /ग्राम	घोषणा–पत्र में अंकित गन्ना क्षेत्रफल (हे.)			सर्वेक्षण के दौरान पाया गया गन्ना क्षेत्रफल(हे.)		
		गन्ने की किस्म	पौधा	पेडी	गन्ने की किस्म	पौधा	पेडी
1	2	3	4	5	6	7	8

गन्ना पर्यवेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर